न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

निगरानी संख्या– 112/2004–05

श्रीमती लतीफन पत्नी स्व0 मौहम्मद अली एवं अन्य

–बनाम–

श्री उम्मीद हसन आदि

उपस्थित : श्री सुभाष कुमार, आई0ए0एस0 अध्यक्ष।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री अरूण सक्सेना।

अधिवक्ता प्रतिउत्तरदातागण : श्री प्रेमचन्द शर्मा।

बावत
मौजा एन्फील्डग्रान्ट, परगना पछवादून
तहसील विकासनगर, जनपद देहरादून।

आदेश

यह निगरानी विद्वान अपर कलेक्टर, प्रशासन, देहरादून द्वारा अपील संख्या–48/2003–04 अन्तर्गत धारा–210 भू–राजस्व अधिनियम उम्मीद हसन आदि बनाम मौहम्मद अली में पारित निर्णयादेश दिनांक 08–08–2005 के विरूद्व योजित की गई है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में उम्मीद हसन द्वारा वसीयत के आधार पर नामान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र/वाद दिनांक 12–06–97 को सहायक अभिलेख अधिकारी, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया। इस वाद में मौहम्मद अली द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 08–09–98 इस आशय का प्रस्तुत किया कि पक्षों के मध्य मा0 उच्च न्यायालय में प्रश्नगत विवादित भूमि के बावत एक वाद विचाराधीन है अतः उक्त वाद के निर्णीत होने तक सहायक अभिलेख अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन वाद की कार्यवाही स्थगित की जाय जिस सहायक अभिलेख अधिकारी, देहरादून ने अपने आदेश दिनांक 09–12–98 से निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व मौहम्मद अली ने अभिलेख अधिकारी, देहरादून के समक्ष निगरानी योजित की गई जिसे विद्वान अभिलेख अधिकारी ने अपने निर्णयादेश दिनांक 13–11–2002 से निरस्त कर दिया और पत्रावली पुनः कार्यवाही हेतु सहायक अभिलेख अधिकारी, देहरादून को प्रेषित किए जाने के आदेश पारित किए। प्रश्नगत ग्राम में अभिलेख प्रकिया पूर्ण होने के फलस्वरूप वाद निस्तारण हेतु तहसीलदार, विकासनगर को प्रेषित किया गया। तहसीलदार, विकासनगर ने पक्षों की बहस सुनने के उपरान्त अपने निर्णयादेश दिनांक 09–02–2004 से वादीगण/प्रार्थीगण का नामान्तरण प्रार्थना पत्र दिनांक 12–06–97 निरस्त कर वादग्रस्त भूमि पर मृतक श्रीमती बशीरी का नाम निरस्त कर मौहम्मद अली आदि का नाम बतौर वारिस संक्रमणीयी भूमिधर दर्ज किए जाने के आदेश पारित किए। इस आदेश के विरूद्व उम्मीद हसन आदि ने अपर कलेक्टर, प्रशासन, देहरादून के समक्ष अपील अन्तर्गत धारा–210 भू–राजस्व अधिनियम योजित की गई जिसे विद्वान अपर कलेक्टर,

प्रशासन, देहरादून ने अपने निर्णयादेश दिनांक 08–08–2005 से स्वीकार कर तहसीलदार, विकासनगर द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 09–02–2004 निरस्त कर वादग्रस्त भूमि पर दिनांक 09–02–2004 से पूर्व की स्थिति बहाल किए जाने के आदेश पारित किए। इस निर्णयादेश से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता ने यह निगरानी इस न्यायालय में योजित की है।

विद्वान अधिवक्तागण पक्षकारों की विस्तृत बहस सुनी गई एवं अवर न्यायालयों के अभिलेखों का सम्यक अध्ययन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि मौहम्मद हसन की संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि थी। मौहम्मद हसन की दो पत्नी थी। मौहम्मद हसन की मृत्यु के उपरान्त उसकी पत्नी श्रीमती बशीरी ने एक वसीयत दिनांक 11–01–71 के आधार पर मौहम्मद हसन की समस्त भूमि को अपने नाम अंकित करवाने के लिए दाखिल खारिज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें निगरानीकर्ता मौहम्मद अली ने अपनी आपत्ति प्रस्तुत की तथा विरासत के आधार पर मौहम्मद हसन के चारों पुत्रों का नाम अंकित करने की प्रार्थना की। तहसीलदार, देहरादून ने बशीरी के हक में वसीयत के आधार पर नामान्तरण आदेश पारित किया जिसके विरूद्व निगरानीकर्ता ने कलेक्टर, देहरादून के समक्ष अपील योजित की जो निरस्त की गई। निगरानीकर्ता ने वसीयत दिनांक 11–01–97 को चुनौती देते हुए घोषणात्मक वाद योजित किया जो सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, मसूरी के न्यायालय में लम्बित है। श्रीमती बशीरी की मृत्यु के उपरान्त प्रतिउत्तरदातागण 1 से 13 ने बशीरी की कथित वसीयत दिनांक 05–02–96 के आधार पर दाखिल खारिज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो आदेश दिनांक 09–02–2004 से निरस्त हुआ एवं वादग्रस्त भूमि पर बशीरी की मृत्यु पर पुनः पूर्व स्वामी मौहम्मद हसन के जीवित एवं धारा–171 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के तहत चारों पुत्रगण के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किए गए जिसके विरूद्व प्रतिउत्तरदातागण द्वारा प्रस्तुत अपील को अपर कलेक्टर, प्रशासन, देहरादून द्वारा आदेश दिनांक 08–08–2005 से स्वीकार कर तहसीलदार, विकासनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–02–2004 को निरस्त कर पूर्व की स्थिति बहाल की गई। अवर अपीलीय न्यायालय द्वारा धारा–171, 172 एवं 174 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के प्राविधानों के विपरीत धारा–174 के अन्तर्गत वाद के निस्तारण के लिये अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली प्रेषित की गई। अवर न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में वसीयत द्वारा महिला/विधवा का प्राप्त सम्पत्ति को उत्तराधिकार के रूप में धारा–172 के अन्तर्गत प्राप्त सम्पत्ति न मानने में तथा वसीयत की प्रकृति को अन्तरण के रूप में धारा–174 के अन्तर्गत प्राप्त सम्पत्ति मानने में कानूनी त्रुटि की है। निगरानी स्वीकार कर अवर अपीलीय न्यायालय का आदेश निरस्त होने योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिउत्तरदागण ने तर्क दिया कि पंजीकृत वसीयत को तहसीलदार निरस्त नहीं कर सकता। वादग्रस्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में धारा–229बी जमींदारी

विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के वाद अभी लम्बित हैं। श्रीमती बशीर के पक्ष में हुई वसीयत सिविल न्यायालय एवं राजस्व न्यायालयों में निर्णीत हो चुकी है। वादग्रस्त भूमि पर श्रीमती बशीरी का नाम वर्ष 1972 से लगातार चला आ रहा है ओर उसके द्वारा की गई वसीयत के आधार पर वसीयतग्रहिता प्रार्थीगण उम्मीद हसन आदि विवादित भूमि के स्वामी हो गये हैं। वसीयत यदि पंजीकृत है तो उसे सिद्व किया जाना आवश्यक नहीं है। निगरानी बलहीन है और निरस्त होने योग्य है।

तहसीलदार, विकासनगर एवं विद्वान अपर कलेक्टर, प्रशासन, देहरादून द्वारा पारित निर्णयादेशों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, विकासनगर ने श्रीमती बशीरी द्वारा सम्पादित वसीयत गवाहों द्वारा सिद्व न होने के कारण प्रतिउत्तरदातागण उम्मीद हसन आदि का नामान्तरण प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया। विद्वान अपर कलेक्टर, प्रशासन, देहरादून ने अपने निर्णयादेश दिनांक 08–08–2005 से विस्तृत विवेचना करते हुए उल्लेख किया है श्रीमती बशीरी को विवादित भूमि जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–172 के तहत प्राप्त होती तो श्रीमती बशीरी द्वारा मृत्यु से पूर्व की गई वसीयत अमान्य होने की दशा में जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–171 लागू होती व भूमि बशीरी से परे अर्थात वंशावली तत्क्रम में आरोही क्रमानुसार अभिलेख "maklineal descendant " का सिद्वान्त लागू होता है परन्तु बशीरी को प्रश्नगत भूमि बतौर जरिये वसीयत प्राप्त हुई है। अतः इस प्रकरण में जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–171 व 172 लागू नहीं होती है, वरन् धारा–174 लागू होती है क्योंकि धारा–174 के अनुसार "Succession to a woman holding an interest otherwise " अर्थात जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–171/172 से अन्यथा प्राप्त अर्थात क्रय करके, स्वंय कमा करके, वसीयत द्वारा प्राप्त जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–210/229बी के तहत अथवा अन्य रूप से प्राप्त।

अतः विद्वान अपर कलेक्टर, प्रशासन, देहरादून द्वारा निर्णयादेश दिनांक 08–08–2005 भली–भाँति विस्तृत सम्यक विवेचना उपरान्त पारित किया गया है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। अवर न्यायालयों की वाद पत्रावलियां वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली सँचित हो।

दिनांकः 21 अक्टूबर, 2014

(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष,
राजस्व परिषद।